बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं०सं० :–3/अ०प्र०–1–55/2022 /पटना, दिनांक :–

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री मुकेश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज द्वारा कार्य प्रमंडल, झंझारपुर अन्तर्गत पदस्थापन काल में एम०एम०जी०एस०वाई० के तहत 503 आर०डब्लू०डी० रोड बेरमा हनुमान मंदिर से धोधही केवट टोला पथ निर्माण कार्य में कार्य के प्रति लापरवाही, अनियमितता एवं स्वेच्छाचारिता बरती गयी है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में अर्न्तविष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने आदेश दिया है कि श्री मुकेश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा समय–समय पर संशोधित) के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री मुकेश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30/11/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–55/2022 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) कार्य दिवस के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा सम्पूर्ण कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु० :– यथोक्त।

30/11/2023

विशेष सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:-http://rwd.bih.nic.org,E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com&secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–55/2022 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

30/11/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–55/2022 2574 /पटना, दिनांक :– 1-12-23

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, झंझारपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/11/2023

विशेष सचिव